अध्याय 6
मांग और वसूली

धारा 12 : कर का गलत तौर पर संग्रहण और केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र सरकार को संदाय

(1) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को जिसने, किसी ऐसे संव्यहार पर, केन्द्रीय कर और संघ राज्यक्षेत्र कर का संदाय किया है जो उसके द्वारा एक *अन्तरराज्यीय प्रदाय माना गया है, किन्तु जिसे तत्पश्चात् अन्तरराज्यिक प्रदाय धारित किया जाता है, इस प्रकार संदत्त की गई करों की रकम का, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, प्रतिदाय किया जाएगा।

(2) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से जिसने, किसी ऐसे संव्यवहार पर, एकीकृत कर का संदाय किया है जो उसके द्वारा एक अन्तरराज्यिक प्रदाय माना गया है, किन्तु जिसे तत्पश्चात् *अन्तरराज्यीय प्रदाय धारित किया जाता है, संदेय केन्द्रीय कर और संघ राज्यक्षेत्र कर की रकम पर किसी ब्याज के संदाय की अपेक्षा नहीं होगी।

---

* राजपत्र में ''अंतरराज्यिक'' छपा है।

* राजपत्र में ''अंतरराज्यिक'' छपा है।